



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]
No. 130]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 2007/आषाढ़ 7, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 2007/ASADHA 7, 1929

भारतीय दन्त परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2007

सं. भा.द.परि-134-2007.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का सोहलवां) की धारा 8(i)(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दन्त परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों को भारतीय दन्त परिषद् भर्ती नियम, 2007 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सचिव	1	10,000-325-15,200 रु.	लागू नहीं होता	अनुमत्य है	40 वर्ष से कम	शैक्षिक अर्हता मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बीडीएस की डिग्री। अनुभव दन्त चिकित्सा में 5 वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होती या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		
नहीं	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर (जिसमें अल्पावधि संविदा भी शामिल है) जिसके न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति पर (जिसमें अल्पावधि संविदा भी शामिल है) :</p> <p>केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारियों में से जो—</p> <p>(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या</p> <p>(ii) 8000-13,500 रु. के वेतनमान में पांच वर्ष की नियमित सेवा तथा कालम 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता रखते हों।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी अथवा अन्य संगठन/केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के मामले में अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।)</p>	<p>(i) अध्यक्ष—सभापति</p> <p>(ii) उपाध्यक्ष—सदस्य</p> <p>(iii) निदेशक (चि.शि.)—सदस्य</p> <p>(iv) परिषद् की कार्यकारी समिति द्वारा नामित दो सदस्य।</p>		
(1) उप सचिव	(2) 1	(3) 7450-225-11,500 रु.	(4) लागू नहीं होता	(5) लागू नहीं होता	(6) लागू नहीं होता	(7) लागू नहीं होता
(8) लागू नहीं होता	(9) दो वर्ष	(10) संयुक्त विधि - (जिसमें अल्पावधि संविदा भी शामिल है)/प्रोन्नति	(11) प्रतिनियुक्ति पर (जिसमें अल्पावधि संविदा भी शामिल है)/प्रोन्नति :- केन्द्रीय/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वशासी निकायों के अधिकारियों में से जो (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, अथवा 6500-10,500 रु. अथवा समतुल्य वेतनमान में दो वर्ष नियमित सेवा, (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, (iii) प्रशासनिक कार्य में 2 वर्ष का अनुभव रखते हों।	(12) (i) अध्यक्ष—सभापति (ii) उपाध्यक्ष—सदस्य (iii) निदेशक (चि.शि.)—सदस्य (iv) परिषद् की कार्यकारी समिति द्वारा नामित दो सदस्य		

(11)

वांछनीय : सरकारी नियमों/विनियमों का ज्ञान
 दो वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय सहायक सचिव पर भी प्रतिनियुक्ति वाले अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका चयन हो जाता है तो पद को प्रोन्नति के आधार पर भरा समझा जाएगा। विभागीय उम्मीदवार प्रतिनियुक्ति के आधार पर विचार किए जाने का पात्र नहीं है। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति वाले उम्मीदवारों को प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
 (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी अथवा अन्य संगठन/केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में संवर्ग-वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के मामले में अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक सचिव	1	6500-200-10,500 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पावधि संविधा भी शामिल है) द्वारा	5500-175-9000 रु. के वेतनमान में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले अधीक्षक पद से प्रोन्नति। प्रतिनियुक्ति :- केन्द्रीय/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वशासी निकायों के अधिकारियों में से जो (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, अथवा 5500-9,000 रु. या समतुल्य के वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा, (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, और (iii) प्रशासनिक कार्य में 1 वर्ष का अनुभव रखते हों। वांछनीय : सरकारी नियमों/विनियमों का ज्ञान (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी अथवा अन्य संगठन/केन्द्रीय सरकार के किसी	(i) अध्यक्ष-सभापति (ii) उपाध्यक्ष-सदस्य (iii) निदेशक (चि.शि.)-सदस्य (iv) परिषद् की कार्यकारी समिति द्वारा नामित दो सदस्य

(10)

विभाग में संवर्ग-वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के मामले में अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुभाग अधिकारी	6	5500-175-9,000 रु.	अचयन	लागू है	35 से 40 वर्ष लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक ढील दी जा सकेगी।	अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से डिग्री अनुभव 4500-7000 रुपये के वेतनमान में ऐसा सहायक/प्रधान लिपिक/लेखाकार जिसने किसी सरकारी/सार्वजनिक/अर्ध-सरकारी उपक्रम/सांविधिक निकाय अथवा स्वशासी संगठन में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
नहीं	दो वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति : 4500-7000 रु. के वेतनमान में ऐसा सहायक/प्रधान लिपिक/लेखाकार जिसने 5 वर्ष की नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्व-विद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक अथवा स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी जो (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, अथवा (ii) 4500-7000 रु. के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा। “प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।”	-अध्यक्ष/उपाध्यक्ष-सभापति -परिषद् की कार्यकारी समिति द्वारा नामित परिषद् के दो सदस्य, -सचिव-सदस्य सचिव के रूप में चयन कार्यकारी -समिति के अनुमोदन पर होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लेखाकार	1	4500-125-7000 रु.	अचयन	लागू है	27 से 30 वर्ष सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक ढील दी जा सकेगी।	अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय की डिग्री अनुभव किसी सरकारी/सार्वजनिक/अर्ध-सरकारी उपक्रम/सांविधिक निकाय

							(7)
							अथवा स्वशासी संगठन में 4000-6000 रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो।
(8)	(9)	(10)	(11)		(12)		
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न होने से सीधे भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : 4000-6000 रु. के वेतनमान में कोई उच्च श्रेणी लिपिक/कम्प्यूटर आपरेटर/आशुलिपिक जिसने 5 वर्ष की नियमित सेवा कर ली है।		-अध्यक्ष/उपाध्यक्ष- सभापति -परिषद की कार्यकारी समिति द्वारा नामित परिषद के दो सदस्य, -सचिव-सदस्य सचिव के रूप में। -चयन कार्यकारी समिति के अनुमोदन पर होगा।		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
सहायक	6	4500-125-7,000 रु.	अचयन	लागू है	30 से 35 वर्ष सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक ढील दी जा सकेगी।	अर्हता किसी मान्यताप्राप्त विश्व- विद्यालय की डिग्री अनुभव किसी सरकारी/सरकारी अस्पताल/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ सांविधिक निकाय अथवा स्वशासी संगठन या शिक्षा संस्थान में 4000-6000 रुपये के वेतनमान में उच्च श्रेणी लिपिक/ कम्प्यूटर आपरेटर के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	
(8)	(9)	(10)	(11)		(12)		
नहीं	दो वर्ष	66.66 प्रतिशत प्रोन्नति से जिसके न होने से सीधे भर्ती द्वारा 33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रोन्नति : 4000-6000 रु. के वेतनमान में उच्च श्रेणी लिपिक/कम्प्यूटर आपरेटर/ आशुलिपिक के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : वे अधिकारी जिन्होंने सरकारी/सरकारी अस्पतालों / विश्वविद्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ध-सरकारी/सांविधिक निकाय या स्वशासी संगठन अथवा शिक्षण संस्थान में 4000-6000 रुपये के वेतनमान		सचिव-सभापति/उप सचिव/सहायक सचिव (प्रशासन) -सदस्य चयन अध्यक्ष के अनुमोदन पद पर होगा।		

में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक	1	4000-100-6000 रु.	लागू नहीं होता	लागू है	18 से 27 वर्ष सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक ढील दी जा सकेगी	अर्हता दसवीं अथवा इसके समकक्ष- आशुलिपिक (अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति तथा टंकण (अंग्रेजी) में कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट की गति। वांछनीय योग्यता किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से डिग्री।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
नहीं	दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा	प्रश्न नहीं उठता	सचिव-सभापति/उप-सचिव/सहायक सचिव (प्रशासन) -सदस्य चयन अध्यक्ष के अनुमोदन पद पर होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कम्प्यूटर आपरेटर	4	4000-100-6000 रु.	लागू नहीं होता	लागू है	18 से 27 वर्ष सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक ढील दी जा सकेगी	अर्हता किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष अर्हता तथा डाटा एन्ट्री कार्य में प्रति घंटा कम से कम 8000 कुंजी चालन की गति हो। नोट : डाटा एन्ट्री कार्य में प्रति घंटा 8000 कुंजी चालन गति का निर्धारण ई डी पी मशीन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा गति परीक्षा लेकर किया जाएगा। अनुभव : 3050-4590 रुपये के वेतनमान में डाटा एन्ट्री आपरेटर के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
नहीं	दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा	प्रश्न नहीं उठता	सचिव-सभापति/उप-सचिव/सहायक सचिव (प्रशासन) -सदस्य चयन अध्यक्ष के अनुमोदन पद पर होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उच्च श्रेणी लिपिक	5	4000-100-6000रु.	अचयन	लागू है	27 से 30 वर्ष सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक ढील दी जा सकेगी।	अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय की डिग्री अथवा इसके समकक्ष अनुभव अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो।
(8)			(9)		(10)	
नहीं			दो वर्ष		शत-प्रतिशत प्रोन्नति से जिसके न होने से सीधे भर्ती द्वारा	
(11)					(12)	
प्रोन्नति 3050-4590 रुपए के वेतनमान में अवर श्रेणी लिपिक जिसने ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा कर ली है तथा स्वस्थता और वरीयता के आधार पर।					सचिव-सभापति/उप सचिव/सहायक सचिव (प्रशासन)-सदस्य चयन अध्यक्ष के अनुमोदन पद पर होगा।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अवर श्रेणी लिपिक	12	रु. 3050-75-3950-80-4500	अचयन	लागू है	18 से 27 वर्ष सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक ढील दी जा सकेगी।	अर्हता (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं अथवा इसके समकक्ष अर्हता (ii) कम्प्यूटर प्रयोग में छह महीने का डिप्लोमा। (iii) अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति।
(8)			(9)		(10)	
हां, जैसा कि कालम 10 में कहा गया है।			दो वर्ष		(i) 90 प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा (ii) 5 प्रतिशत रिक्तियां समूह 'घ' के उन कर्मचारियों में से भरी जाएंगी जिन्होंने कम से कम दसवीं अथवा इसके समकक्ष अर्हता तथा ग्रेड 'घ' में पांच वर्ष की सेवा कर ली हो। इनकी भर्ती विभागीय परीक्षा तथा अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति के आधार पर की जाएगी। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु 45 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले	

(8)

(9)

(10)

में 50 वर्ष) होगी।

नोट :

(क) किसी वर्ष में न भरी गई रिक्तियां आगे नहीं ली जाएंगी।

(ख) यदि खंड (ii) के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों के मुकाबले उक्त परीक्षा में पास हुए कर्मचारियों की संख्या अधिक है तो योग्यता क्रम के ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों का आगामी वर्षों में होने वाली रिक्तियों पर विचार किया जाएगा ताकि बाद वाली परीक्षा में पास होने वाले कर्मचारियों पर विचार करने से पहले, पहले वाली परीक्षा में पास हुए कर्मचारियों पर विचार हो सके।

(iii) 5 प्रतिशत रिक्तियां वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर समूह 'घ' के उन कर्मचारियों से भरी जाएंगी जो उक्त (i) में निर्धारित अर्हताएं रखते हों।

(11)

जैसा कि कालम 10 में कहा गया है।

(12)

सचिव-सभापति/उप सचिव/सहायक सचिव (प्रशासन)—सदस्य चयन अध्यक्ष के अनुमोदन पद पर होगा।

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

चालक 1 3050-75-3950- लागू नहीं होता लागू है
(साधारण ग्रेड) 80-4590 रु.

27 वर्ष से अधिक सरकारी नहीं। सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक ढील दी जा सकेगी।

शैक्षिक अर्हता(i) कम से कम आठवीं पास
(ii) मोटर कार चलाने का वैध लाइसेंस
(iii) मोटर मकैनैज्म का ज्ञान (अभ्यर्थी वाहन की छोटी-मोटी खराबी दूर कर सकता हो)
(iv) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।**वांछनीय योग्यता**

(i) दसवीं के समकक्ष

(ii) होम गार्ड/सिविल वालंटियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा।

(8)	(9)	(10)
प्रश्न नहीं उठता	दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा
(11)	(12)	
प्रश्न नहीं उठता	सचिव-सभापति/उप-सचिव/सहायक सचिव (प्रशासन) -सदस्य चयन अध्यक्ष के अनुमोदन पद पर होगा।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गेस्टेटर आपरेटर	1	3050-75-3950- 80-4590 रु.	अचयन	लागू है	18 से 27 वर्ष सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक ढील दी जा सकेगी।	अर्हता दसवीं पास। अनुभव गेस्टेटर मशीन चलाने तथा उसके रख रखाव का एक वर्ष का अनुभव

(8)	(9)	(10)
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधे भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	
प्रोन्नति : 2610-3540 रुपए के वेतनमान में दफतरी के रूप में चार वर्ष की नियमित सेवा तथा गेस्टेटर मशीन चलाने में निपुण हो और निर्धारित परीक्षा पास करता हो। योग्यता तथा वरीयता का यथोचित ध्यान रखा जाए।	सचिव-सभापति/उप-सचिव/सहायक सचिव (प्रशासन) -सदस्य चयन अध्यक्ष के अनुमोदन पद पर होगा।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दफतरी	1	2610-60-3150- 65-3540 रु.	अचयन	लागू है	18 से 27 वर्ष सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक ढील दी जा सकेगी।	अर्हता किसी मान्यताप्राप्त स्कूल/ संस्थान से आठवीं पास चपरासी/मैसेंजर के पद पर 5 वर्ष का अनुभव रिकार्ड को सही ढंग से रखने की योग्यता होनी चाहिए।

(8)	(9)	(10)
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	
2250-3200 रुपए के वेतनमान में चपरासी/मैसेंजर के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा।	सचिव-सभापति/उप-सचिव/सहायक सचिव (प्रशासन) -सदस्य चयन अध्यक्ष के अनुमोदन पद पर होगा।	

2423 GI/07-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चपरासी	5	2550-55-2660- 60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू है	18 से 27 वर्ष सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक ढील दी जा सकेगी।	अर्हता किसी मान्यताप्राप्त स्कूल/संस्थान से आठवीं पास वांछनीय : होम गार्ड तथा सिविल डिफेंस में प्राथमिक तथा रिक्रेशर कोर्स।
(8)			(9)			(10)
प्रश्न नहीं उठता			दो वर्ष			सीधे भर्ती द्वारा
(11)					(12)	
प्रश्न नहीं उठता					सचिव-सभापति/उप-सचिव/सहायक सचिव (प्रशासन) -सदस्य चयन अध्यक्ष के अनुमोदन पद पर होगा।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सफाईवाला सह-फराश	2	2550-55-2660- 60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू है	18 से 27 वर्ष सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक ढील दी जा सकेगी।	अर्हता किसी मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान से आठवीं पास
(8)			(9)			(10)
प्रश्न नहीं उठता			दो वर्ष			सीधे भर्ती द्वारा
(11)					(12)	
प्रश्न नहीं उठता					सचिव-सभापति/उप-सचिव/सहायक सचिव (प्रशासन) -सदस्य चयन अध्यक्ष के अनुमोदन पद पर होगा।	

**भारतीय दन्त परिषद्
भर्ती नियम**

टिप्पणी :

1. अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों (अ.पि.वर्ग) के अभ्यर्थियों तथा विकलांगों के लिए छूट व रियायतें भारत सरकार तथा/अथवा परिषद् कार्यालय द्वारा नियुक्ति व पदोन्नति के लिए समय-समय पर यथासंशोधित आदेशों के अनुसार लागू होंगी। अजा./अजजा./अपि वर्ग काडर की भर्ती व पदोन्नति के लिए कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी सामान्य अनुदेश लागू होंगे।
2. आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख, आवेदन प्राप्त के लिए नियत अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों से भर्ती के मामले में आयु निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जब तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अनुभव अर्हता में छूट सक्षम प्राधिकारी विवेकानुसार निर्णय ले सकेगा जब चयन के किसी स्तर पर उन्हें लगे कि इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और यह आरक्षित पद भर पाना संभव नहीं हो पाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुभव से संबद्ध अर्हताओं में छूट देने के कारण पाद टिप्पणी में दिए जाएं।
4. समय-समय पर यथा संशोधित के.सि.से. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के वर्षों को जोड़ने का लाभ अनुमत्य होगा।
5. यदि अभ्यर्थी अन्यथा उपयुक्त पाया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दे सकेगा।
6. पदोन्नति के मामलों में वरिष्ठता-व-मेरिट का मानदंड अपनाया जाएगा। पदोन्नति के लिए अन्यथा योग्य पाए गए विभागीय अभ्यर्थियों के मामले में आयु व शैक्षिक अर्हताओं में छूट दी जा सकेगी। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसा होने पर सक्षम प्राधिकारी चयन पदों में अर्हक सेवा में छूट दे सकते हैं।
7. संगत चयन पद उच्चतर पदोन्नति के लिए भर्ती नियमों में विहित अर्हक सेवा पूरी करने पर ही गैर-प्रकार्य चयन ग्रेड लागू होगा।
8. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण), नई दिल्ली के का.जा.सं. 35034/1/97-स्थापना (4) दिनांक 9-8-1999 में जारी सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के आदेश परिषद के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

मे.ज. (सेवानिवृत्त) डा. पी. एन. अवस्थी, सचिव
[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/98/07]

**DENTAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th June, 2007

No. DCI-134-2007.—In exercise of the powers conferred by Section 8(1)(d) of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following rules namely:—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Dental Council of India Recruitment Rules, 2007.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether the benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Secretary	1	Rs. 10,000-325-15,200	Not Applicable	Admissible	Less than 40 years
Educational and other Qualifications required for direct recruit		Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	Method of Rectt. : Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various method
	7		8	9	10
Educational Qualification : BDS Degree of a recognised University. Experience : A total of 5 years in the profession of dentistry		No		2 years	Deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

Grade from which recruitment by promotion/
deputation/transfer/short-term contract/re-
employment is to be made.

If a DPC/Selection Committee exists, what is its composition

11	12
Deputation (including short-term contract) : From amongst Officers of the Central/State Government/Universities/PSUs/Autonomous Organizations and (i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) with 5 years regular service in the scale of Rs. 8,000-13,500 and possessing the qualification prescribed for direct recruits in column 7. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)	(i) President —Chairman (ii) Vice President —Member (iii) Director (ME) —Member (iv) Two members to be nominated by the Executive Committee of the Council.

1	2	3	4	5	6
Deputy Secretary	1	7,450-225-11,500	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
7	8	9	10		
Not Applicable	Not Applicable	2 years	Composite Method :- Deputation (including short-term contract) Promotion.		

11	12
Deputation (including short-term contract)/Promotion : From amongst Officers of the Central/State Government/PSUs/Autonomous Bodies (i) Holding analogous post on regular basis or with 2 years regular service in the scale of Rs. 6,500-10,500 or equivalent; (ii) Possessing graduate degree from recognized University; (iii) Having 2 years experience in handling Administrative matters.	(i) President —Chairman (ii) Vice President —Member (iii) Director (ME) —Member (iv) Two members to be nominated by the Executive Committee of the Council.

Desirable : Knowledge of government rules/regulations.

The Departmental Assistant Secretary with 2 years of regular service will also be considered along with deputationists, and if selected the post will be deemed to have been filled by promotion.

11

The departmental candidates will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationist will not be considered for appointment by promotion.

(The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

1	2	3	4	5	6
Assistant Secretary	1	Rs. 6,500-200-10,500	Non-Selection	Not Applicable	Not Applicable
7	8	9	10		
Not Applicable	Not Applicable	Two years	Promotion failing which by Deputation (including short-term contract)		

11

12

Promotion from the post of superintendent in the scale of 5500-175-9000 with 3 years regular service.
Deputation : From amongst Officers of the Central/State Government/PSUs/Autonomous Bodies (i) Holding analogous post on regular basis or with 3 years of regular service in the scale of Rs. 5,500—9,000 or equivalent; (ii) Possessing graduate degree from recognized University; (iii) Having 1 year experience in handling Administrative matters.

Desirable : Knowledge of governments rules/regulations.

(The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

- (i) President —Chairman
- (ii) Vice President —Member
- (iii) Secretary (DCI) —Member
- (iv) Two members to be nominated by the Executive Committee of the Council.

2923 GI/07-4

1	2	3	4	5	6
Section Officer	6	Rs. 5,500-175-9,000	Non-Selection	Applicable	Between 35 to 40 years. Relaxable for Government servants up to 5 years.
7	8	9	10		
Qualification : A degree from recognised University	No		Two years		50% by promotion failing which by direct recruitment.
Experience : 5 years regular service as Assistant/Head Clerk/Accountant in the scale of Rs. 4500-7000 in a Government/Public/Semi Government Under-takings/ Statutory Body or Autonomous Organization.					50% by transfer on deputation.
	11	12			
	Promotion —Assistant/Head Clerk/Accountant in scale of Rs. 4500-7000 with 5 years regular service in the grade.	President/Vice President—Chairman two Council Members—Member to be nominated by the Executive Committee of the Council and Secretary—Member Secretary. The selection will be subject to the approval of Executive Committee.			
	Transfer on Deputation —The officials under the Central/State Government/Universities/PSUs/ Statutory or Autonomous Organization; (i) holding analogous posts on regular basis or (ii) with five years regular service in the scale of Rs. 4500-7000.				
	“The period of transfer on deputation shall not ordinarily exceed three years.”				
1	2	3	4	5	6
Accountant	1	Rs. 4500-125-7000	Non-Selection	Applicable	Between 27 to 30 years. Relaxable for Government servants up to 5 years.
7	8	9	10		
Qualification : A degree from recognised University	No		Two years		By Promotion failing which by direct recruitment.
Experience : 5 years regular service in the scale of pay of Rs. 4,000-6,000 in a Government/Public/					

7

Semi Govt. Undertakings/
Statutory Body or Auto-
nomous Organization.

11

12

Promotion U.D. Clerk/Computer Operator/Steno-
grapher in the scale of Rs. 4,000-6,000 with 5
years regular service in the grade.

President/Vice President—Chairman two Council Members—Member
to be nominated by the Executive Committee of the Council and
Secretary—Member Secretary. The selection will be subject to the
approval of Executive Committee.

1

2

3

4

5

6

Assistant

6

Rs. 4,500-125-7,000

Non-
Selection

Applicable

Between 30 to 35
years. (Relaxable for
Government servants
up to 5 years.)

7

8

9

10

Qualification :

A degree from a recognised
University

No

Two years

66.66% by promotion
failing which by direct
recruitment.

Experience :

5 years regular service as
Upper Division Clerk/
Computer Operator in the
scale of pay of Rs. 4,000-
6,000 in a Govt./Govt.
Hospital/University/Public
Sector Undertakings/
Statutory Body or Auto-
nomous Organization or
Teaching Institution.

33.33% by transfer on
deputation.

11

12

Promotion : U.D. Clerk/Computer Operator/Steno-
grapher in the scale of pay Rs. 4000-6000 with
5 years regular service in the grade.

Secretary—Chairman/Dy. Secy./Asstt. Secretary (Admn)—Member.
The selection will be subject to the approval of President.

Transfer on Deputation : The officials under the
Government/Government Hospitals/University/
Public Sector Undertakings/Semi Government/
Statutory Body or Autonomous Organizations or
Teaching Institutions in the scale of Rs. 4,000-
6,000 with five years regular service in the grade.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer	1	4000-100-6000	Not applicable	Applicable	Between 18 to 27 years. Relaxable for Government servants up to 5 years.

(7)	(8)	(9)	(10)
Qualification : Matriculation or its equivalent. A Speed of 80 w.p.m. in shorthand (English) and a minimum speed of 40 w.p.m. in typing (English)	No	Two years	By direct recruitment

Desirable Qualification :

A degree from recognized University Institution.

(11)	(12)
Does not arise	Secretary-Chairman/Dy. Secy. Asstt. Secretary (Admn)—Member. The selection will be subject to the approval of President.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Computer Operator	4	4000-100-6000	Not applicable	Applicable	Between 18 to 27 years. Relaxable for Govt. Servants up to 5 years.

(7)	(8)	(9)	(10)
Qualification : A degree from a recognised University or equivalent qualification and a speed of not less than 8000 key depressions per hour for data entry work.	No	Two years	By direct recruitment.

Note : The speed of 8000 Key depressions per hour for data entry work is to be judged by conducting a speed test on the EDP Machine(s) by the competent authority.

Experience :

With 3 years regular service as Data entry operator grade in the scale of Rs. 3050-4590.

(11)	(12)
Does not arise.	Secretary-Chairman/Dy. Secy. Asstt. Secretary (Admn)—Member. The selection will be subject to the approval of President.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
U.D. Clerk	5	Rs. 4000-100-6000	Non-selection	Applicable	Between 27 to 30 years Relaxable for Govt. Servants up to 5 years
Qualification :			(8) No	(9) Two years	(10) 100% by promotion failing which by direct recruitment.
A degree from a recognised University or equivalent.					
Experience					
8 years regular service in the grade of L.D.C.					

(11)	(12)
Promotion :	Secretary—Chairman/Dy. Secy. Asstt. Secretary (Admn)—Member.
L.D.C. in the scale of Rs. 3050-4590 with 8 years regular service in the grade on the basis of fitness cum seniority.	The selection will be subject to the approval of President.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L. D. Clerk	12	Rs. 3050-75-3950 80-4590	Non-Selection	Applicable	Between 18 to 27 years Relaxable for Govt. Servants up to 5 years
Qualification :					(8) Yes to extent indicated in Col. 10
(i) 12th or equivalent qualification from a recognised board.					
(ii) Six months diploma in computer application. Prefereably knowledge of MS Office.					
(iii) 30 w.p.m. typing speed in English.					

(9)	(10)
Two years	(i) 90 per cent by direct recruitment. (ii) 5% of vacancies shall be filled up from amongst the Group D staff who possess minimum Matriculation or equivalent qualification and have 5 years regular service in Grade D, on the basis of a Departmental qualifying examination and English typing speed of 30 w.p.m. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the SC/ST).

Note : (a) Unfilling vacancies pertaining to a particular year shall not be carried over. (b) If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) those who qualify the said examination; such excess number of employees out of merit shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying

(10)

at an earlier examination are considered before those who qualify at a latter examination.

(iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from group D employees who possess qualifications mentioned in sub-para (1) above.

(11)

(12)

As stated in Col. 10

Secretary-Chairman/Dy. Secy. Asstt. Secretary (Admn.)—Member.
The selection will be subject to the approval of President.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Driver (Ordinary Grade)	1	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Applicable	Not exceeding 27 years Relaxable for Govt. Servants up to 5 years

(7)

(8)

(9)

(10)

Educational Qualification :

Does not arise

Two years

By direct recruitment

- (i) 8th Standard minimum.
- (ii) Possession of a valid driving license for Motor Cars
- (iii) Knowledge of motor mechanism. The candidate should be able to remove minor defect in vehicles.
- (iv) Experience of driving a Motor Car for at least 3 years.

Desirable Qualification

- (i) Matriculation equivalent.
- (ii) 3 years service as Home Guard/Civil Volunteers.

(11)

(12)

Does not arise.

Secretary-Chairman/Dy. Secy./Asstt. Secretary (Admn.)—Member.
The selection will be subject to the approval of President.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gestetner Operator	1	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Non Selection	Applicable	Between 18 to 27 years. Relaxable for Govt. Servants up to 5 years

(7)

(8)

(9)

(10)

Qualification :

Matriculation pass.

No

Two years

By promotion failing which
by direct recruitment

(7)	(8)	(9)	(10)
-----	-----	-----	------

Experience

One year's experience in operating and maintaining Gestetner Machines.

(11)	(12)
------	------

Promotion : Daftry with 4 years regular service in the grade scale of Rs. 2610-3540 and who have proficiency in operating Gestetner machine subject to qualifying the prescribed test due regard given to fitness-cum-seniority.

Secretary-Chairman/Dy. Secy. Asstt. Secretary (Admn.)—Member. The selection will be subject to the approval of President.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Daftry	1	Rs. 2610-60-3150-65-3540	Non Selection	Applicable	Between 18 to 27 years. Relaxable for Govt. Servants upto 5 years

(7)	(8)	(9)	(10)
-----	-----	-----	------

Qualification :

8th Class pass from a recognised School/Institution.
5 years experience in the post of Peon/Messenger.
Ability to maintain records in proper shape.

No Two years By promotion

(11)	(12)
------	------

5 years regular service as Peon/Messenger in the scale of pay of Rs. 2250-3200.

Secretary-Chairman/Dy. Secy./Asstt. Secretary (Admn.)—Member. The selection will be subject to the approval of President.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peon	5	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not Applicable	Applicable	Between 18 to 27 years. Relaxable for Govt. Servants upto 5 years

(7)	(8)	(9)	(10)
-----	-----	-----	------

Qualification :

8th Class pass from a recognised School/Institution.
Desirable : Training in Basic and "Referesher" course in Home Guards and Civil Defence.

Does not arise Two years Direct recruitment

(11)	(12)
------	------

Does not arise

Secretary-Chairman/Dy. Secy. Asstt. Secretary (Admn.)—Member. The selection will be subject to the approval of President.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Safaiwala-cum-Farash	2	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not Applicable	Applicable	Between 18 to 27 years Relaxable for Govt. Servants upto 5 years
(7)	(8)	(9)	(10)		
Qualification : 8th Class pass from a recognised School/Institution.	Does not arise	Two years	Direct recruitment		
(11)	(12)				
Does not arise	Secretary-Chairman/Dy. Secy./Asstt. Secretary (Admn.)—Member. The selection will be subject to the approval of President.				

**DENTAL COUNCIL OF INDIA
RECRUITMENT RULES**

Note :

1. Relaxations and concessions for candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Class (OBC) and Physically handicapped provided by the Central Government &/or as amended from time to time for appointment and promotion in the Council office shall be applicable. Other general instructions issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, New Delhi for recruitment promotion to the SC/ST/OBC cadre shall be followed.
2. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of application. In case of recruitment made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit shall be last date up to which Employment Exchanges are asked to submit the names.
3. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribe, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of the candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. For this purpose footnote may be added that appointing authority shall records the reasons for relaxing the qualification regarding experience in writing while doing so.
4. Benefit of added years of service admissible under Rule 30 of C.C.S. (Pension) Rules, 1972 as amended from time to time shall be applicable.
5. In the case posts except Group-A posts qualifications are relaxable at the discretion of Appointing Authority in case the candidates are found otherwise suitable for the job.
6. In case of promotions seniority-cum-merit criteria will be followed. Age & Educational qualifications shall be relaxable for the posts except Group-A Posts in the case of departmental candidates for promotion, if found otherwise suitable for the post. Qualifying service for selection posts may be relaxed by the competent authority upon the recommendations by the Departmental Promotion Committee.
7. Non-functional selection grade will be applicable after completing the qualifying service prescribed in the recruitment rules for respective higher promotion in the selection posts.
8. The assured career progression scheme as contained in O.M. No. 35034/1/97-Estts. (D) dated 9-8-1999 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), New Delhi shall be applicable to the employees of the Council.

Maj. Gen. (Retd.) Dr. P.N. AWASTHI, Secy.

[ADVT-III/IV/Exty/98/07]